राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

उत्तराखण्ड

NAAC द्वारा "B" ग्रेड प्रदत्त

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड से सम्बद्ध)

प्रवेश विवरणिका

सत्रः 2023–2024

(स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय हेतु प्रवेश नियम)

वेबसाईट–www.gpgcnewtehri.com
ई मेल–gpgcollegentt@gmail.com

आमुख (Preface)

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् देश में अनेक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं शोध–संस्थान स्थापित किए गये। इन संस्थानों ने अनेक प्रतिभाओं को जन्म दिया और देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उत्तराखण्ड में भी अनेक शिक्षण संस्थाएँ प्रतिभाओं के विकास में अपना–अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में 1979 ई0 में चम्बा (टिहरी गढ़वाल) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। नई टिहरी नगर के अस्तित्व में आने के उपरान्त उक्त महाविद्यालय को उच्चीकृत कर दिनांक 09 सितम्बर, 2003 को नई टिहरी शहर में स्थानान्तरित कर 19 विषयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पठ्न–पाठ्न प्रारम्भ किया गया। शासनादेश संख्या 198/XXiV(7) 2015–2(6)08 दिनांक 08.05.2015 के द्वारा महाविद्यालय को विधिवत् स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ की तिथि से दिया गया है। वर्तमान में महाविद्यालय में 48 शिक्षक कार्यरत हैं।

बड़े ही हर्ष का विषय है कि निदेशक (उ0शि0) उत्तराखण्ड, नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक डिग्री विकास/1273/2023–24 दिनांक 30.05.2023 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 595/XLI–B–1/23/E-55127 कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 18 मई, 2023 के अनुपालन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जी0आई0टी0आई0) बौराड़ी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल की भूमि–भवन जिसका कुल क्षेत्रफल 2138.85 वर्ग मी0 (Academic Block 1643.50 sqm एवं North Block 495.35 sqm) को निःशुल्क प्रदान करने की सहमति प्रदान की गयी हैं साथ ही उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को मॉडल कालेज का दर्जा दिया गया। इससे महाविद्यालय को भविष्य में अनेक सुविधाऐं सरकार द्वारा उपलब्ध होगीं।

स्मरणीय है कि वर्ष 2006 में महाविद्यालय UGC की धारा 2F/12B से आच्छादित हो गया है, वर्ष 2007 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अपनी स्थापना के वर्ष से ही महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर उन्मुख है। निरन्तर बढ़ती छात्र संख्या एवं 2012–13 में नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड ''B'' से इस बात की पुष्टि होती है। वर्तमान में महाविद्यालय में नैक द्वितीय चक्र की प्रक्रिया गतिमान है। पठ्न–पाठ्न के अतिरिक्त अन्य रचनात्मक क्रियाकलापों में भी महाविद्यालय अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। अन्तर–महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताएँ सम्पन्न कराने के अतिरिक्त अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं द्वारा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में सहभागिता की जाती रही है।

वर्तमान में महाविद्यालय में रोवर–रेंजर प्रकोष्ठ तथा एन0एस0एस0 की तीन इकाइयाँ संचालित हैं। एन0सी0सी0 की इकाई प्रारम्भ करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। महाविद्यालय में यू0जी0सी0/राज्य सरकार के सहयोग से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की कक्षायें भी पिछले सत्र से प्रारम्भ की गयी हैं जिसका लाभ छात्र/छात्राएँ प्राप्त कर रहे/कर सकते हैं।

महाविद्यालय परिवार समस्त नवागन्तुक एवं पूर्व से ही अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का इस नूतन सत्र 2023–2024 में हार्दिक स्वागत करता है। आऐं, हम सब मिलकर अपने इस महाविद्यालय को उन्नति के शिखर पर पहुँचायें। सभी के मध्य निरन्तर उद्देश्यपरक संवाद बना रहे और मनसा, वाचा, कर्मणा महाविद्यालय की प्रगति हेतु प्रयासरत रहें।

आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित।

प्राचार्य

दृष्टि (VISION)

छात्रों में युगानुकूल ऐसी क्षमता पैदा करना, जिससे वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बन सकें तथा विकास एवं उसमें आने वाली समस्याओं के सन्दर्भ में स्थानीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर मूल्य–आधारित समाज का निर्माण और राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान कर सकें।

लक्ष्य (Mission)

1. अपनी अर्न्तदृष्टि को मूर्त रूप में साकार करने के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी शासन–प्रशासन तथा समाज के निर्धारित मूल्यों, नियमों का परिपालन करते हुए युवा छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा की विभिन्न विधाओं में प्रभावी ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
2. महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास यथा–अनुशासन, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, गतिविधियों, नेतृत्व क्षमता, सामुदायिकता आदि के विकास के लिए प्रयासरत है।
3. स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।
4. शोध हेतु उच्चस्तरीय सुविधायें उपलब्ध करना, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समसामयिक विषयों पर चर्चा–परिचर्चा कराना कार्य योजना का अंग है।
5. तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा दिये जाने हेतु महाविद्यालय प्रतिबद्ध है क्योंकि तकनीकी युग में अध्यापन का परम्परागत स्वरूप अपेक्षाकृत कम प्रभावी है।

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ सके।
2. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को वार्षिक शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित रसीद महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगी।
3. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुस्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुर्नस्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हों तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
6. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
7. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
8. महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं/विषयों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही होगा।
9. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023–24 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि दो वर्ष तक का अन्तराल है और वह प्रवेश की सभी शर्तो का पालन करता है, तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु समय अन्तराल का शपथ–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना होगा, जिससे सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट हो।
10. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर चार वर्ष में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
11. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी दो राजपत्रित अधिकारीयों, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (विगत 6 माह तक का) संलग्न करें।
12. प्रवेश आवेदन–पत्र पर स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण–पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
13. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला भी जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।
14. जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी।

15. यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी।
16. यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका है, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
17. किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
18. प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी/समिति युक्ति संगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार प्रवेश अस्वीकार अथवा निरस्त करने के लिए महाविद्यालय स्वतंत्र हैं। इस सम्बन्ध
    में प्राचार्य एवं प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम होगा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित की जायेगी।
19. प्रवेश के अंतिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
20. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय–पत्र में भी आवंटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
21. **उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को अर्थात अन्य प्रवेश के अभ्यर्थियों को अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
22. प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग संबंधी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
23. अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति के द्वारा निर्णल लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

<u>नोट–</u> उक्त प्रवेश निर्देश एवं नियमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियम (अध्याय–01) एवं अर्हता निर्धारण (अध्याय–02) के नियम जो कि शैक्षिणिक सत्र 2023–24 से प्रभावी है, का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश नियम
(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल के नियमानुसार)
(शैक्षणिक सत्र 2023–2024 हेतु)

<u>अध्याय–1. साधारण नियम–</u>

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (OnLine) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा कॉउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे

और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समताओं तथा OnLine प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाण–पत्र के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र की शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों यथा अधिभार आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर मूल प्रमाण–पत्रों के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उनके अभिभावकों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध **प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख)** में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें। शपथ–पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के संयोजक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएगें।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जा सकता है। जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय की यथाशीघ्र प्रेषित की जायगी।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत **"धोखाधड़ी से प्रवेश लेना"** माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाफल रोक दिया जा सकता है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें।

1.11 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1–अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2–अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3–अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)।

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1) महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

I. Extension in date of admission upto 30 days
II. Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
III. Waiving of domicile requirement

1.13 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंको का लाभ देय होगा–

(क) एन०सी०सी० "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी–	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर–	20 अंक
(कम से कम एक सात दिवसीय विशेष शिविर एवं नियमित शिविरों में प्रतिभाग करने पर)	
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई एवं बहन–	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगा भाई/बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई/बहन–	20 अंक
(ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर–	50 अंक
(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर–	40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर–	30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर–	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर–	25 अंक

(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता– 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर– 20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर– 15 अंक

नोट–उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 **(क) स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0कॉम0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु–**

1. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के नामांकित छात्र/छात्राओं के रूप में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल में अध्ययनरत होने के बाद एक विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी दशा में अन्य विषय में स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0कॉम0) कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
2. विश्वविद्यालय से बाहर के अभ्यर्थीयों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लिये जाने की तिथि से एक माह के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) महाविद्यालय में जमा कर विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी के प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

1.16 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (सी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (सी०सी०) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 **(क)** प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बंधित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.18 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन–पत्र शैक्षिक प्रपत्र अन्य प्रपत्रों का तीन माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के रैगिंग सम्बन्धी विनियम–2009 में उल्लेखित प्रावधानों के

अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण–विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

अर्हता निर्धारण के नियम

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय **से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)**

(शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संयोजक प्रवेश समिति/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगीः–

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। **(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)**

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण **(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)**

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण **(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)** अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञानमें 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण **(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)** इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंको की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हुआ हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तृति पर प्रवेश

विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठ्न–पाठ्न प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.5 The candidates for the Under Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:

एकल संकाय महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषय (Two Major Subjects) का चयन निम्न विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो गए तीन विषयों से अलग होगा प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलेक्टिव पायमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलेक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	भूगोल (Geography)	समाजशास्त्र (Sociology)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	गृह विज्ञान (Home Science)	इतिहास (History)			
	मानव विज्ञान (Anthropology)	सैन्य विज्ञान (Military Science)			

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलैक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलेक्ट्रिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

गणित समूह (Mathematics Group)		
Group A	**Group B**	**Group C**
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physic)	रसायन विज्ञान (Chemistry) सांख्यिकी (Statistics)

		भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science)

जीव विज्ञान समूह **(Bio Group)**		
Group A	**Group B**	**Group C**
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry) भूगर्भ विज्ञान (Geology) सैन्य विज्ञान (Military Science) मानव विज्ञान (Anthropology)

?

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com) हेतु

.प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलेक्ट्रिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	**Group B**	**Group C**
फाइनेन्सियल एकाउंटिग (Financial Accounting) (Major Core Own Faculty)	व्यावसायिक नियामक ढांचा (Business Regulatory Frame Work) (Major Core Own Faculty)	व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्धन (Business Organization and Management)
		व्यावसायिक संचार (Business Communication) (Major Elective Own Faculty/Other Faculty)

<u>मुख्य (Major) विषय तथा मुख्य चयनित (Major Elective) विषय</u>

1. विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा। जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
2. तीसरे मुख्य (Major Elective) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
3. विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में दो मुख्य (Major) विषय और एक अन्य (Major Elective Subject) के क्रम में परिवर्तन कर सकता है। (अर्थात् वह पूर्व में लिए मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट को मुख्य

(Major) विषय से बदल सकता है, यानि पूर्व में चार सेमेस्टर तक मेन मेजर विषय को मेजर इलेक्टिव विषय से परिवर्तित कर सकता है।)

गौण चयनित विषय (Minor Elective Subject)

1. माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
2. माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
3. बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथै विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।
4. माइनर विषय का चुनाव महाविद्यालय में अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में संचालित विषयों/माइनर इलेक्टिव विषय से करना होगा तथा इसकी कक्षाएं फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ संचालित होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाऐंगी।
5. महाविद्यालय में किसी भी संकाय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को चौथे विषय के रूप में माइनर इलेक्टिव विषय का चयन अपने संकाय को छोड़कर किसी अन्य संकाय से करना होगा। महाविद्यालय स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी को प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में करना होगा।
6. महाविद्यालय प्रत्येक विषय में माइनर इलेक्टिव विषय/पेपर में अधिकतम 50 विद्यार्थियों का प्रवेश देना सुनिश्चित करेगा।

प्रथम सेमेस्टर हेतु अध्यापन समिति द्वारा स्वीकृत गौण चयनित अर्थात् माइनर इलेक्टिव विषय की सूची

S.No.	Subject	Minor Elective Paper
1	Hindi	हिन्दी भाषा व व्याकरण
2	English	Creative Writing
3	Sanskrit	संस्कृत भाषा अध्ययन
4	Anthropology	General Anthropology
5	Defence and Strategic Studies	Military History of Uttrakhand
6	Geography	Applied Geomorphology
7	Home Science	Humen Development
8	Economics	Fundamental of Economics
9	History	Indian Society and Culture through the ages
10	Political Science	Awarness with civic right
11	Sociology	Industrial Sociology
12	Physics	Geometrical Optics
13	Chemistry	Basics of Chemistry
14	Mathematics	Matrices
15	Statistics	Statistical Methods and Probability Theory
16	Botany	Introduction to Eco System
17	Zoology	Environmental Science and basic Concept of ecology
18	Geology	Minor elective Geology
19	Commerce	Inventory mangement

शासनादेश सं0 46521/XXIV-C-4/2022-01(16)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2022–23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2022 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश के

संलग्नक के बिन्दु सं0 5.8 में वर्णित प्राविधान–''**तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माईनर इलैक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो**'' की बाध्यता को समाप्त किये जाने हेतु व्यापक विचार–विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में सन्दर्भित बिन्दु पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2023 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 09 एंव शासनादेश सं0 324/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019 दिनांक 24.04.2023 के पत्र में वर्णित व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न महाविद्यालयों (विशेषतः) एकल संकाय {Single Faculty Colleges} से कुंमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को समय–समय पर प्राप्त प्रत्यावेदनों पर व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त बाध्यता को समाप्त किये जाने हेतु निर्णय लिया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि विद्यार्थी द्वारा 01 (एक) ही संकाय से मेजर तथा माईनर विषयों का चयन किया जाता है तो माईनर इलैक्टिव विषय को मेजर विषय से भिन्न होना अनिवार्य होगा।(ख) सर्वसम्मति से यह भी निणर्य लिया गया कि माईनर इलैक्टिव विषयों का चयन विद्यार्थी द्वारा उसके परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में उपलब्ध संसाधनो के आधार पर ही किया जा सकेगा। प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने परिसर में केवल उन्हीं माईनर इलैक्टिव विषयों को चयन हेतु प्रस्तावित किया जायेगा जो उनके द्वारा स्वयं संचालित किये जा सके।

(ग) विद्यार्थियों को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

(घ) विद्यार्थी अपना चतुर्थ विषय (Minor Elective) भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफार्मों से भी समान क्रेडिट (04) के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते है।

(ड़) सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि ''सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व'' (Community Engagement and Social Responsibility) वाले प्रश्न–पत्र को स्नातक स्तर के समस्त विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य करना होगा तभी स्नातक उपाधि प्रदान की जायेगी।

1. उत्तराखण्ड राज्य हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निर्मित समस्त पाठ्यक्रमों को कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से एवं ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर गहन विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त पाठ्यक्रमों को समस्त हितधारकों (Stakeholders) से सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाइन माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किये जाने हेतु तथा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सूची के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किये जा रहे अन्य पाठ्यक्रमों को भी कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यहाँ यह भी निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संरचना (Structure) पूर्व निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों के अनुसार ही होगी। इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र Public Domain में समस्त हितधारकों (Stakeholders) के सुझाव हेतु उपलब्ध करा दिया जाये।
2. बैठक में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सेमेस्टर में कौशल विकास पाठ्यक्रमों (Vocational/ Skill Development Courses) के चयन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों उत्पन्न हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में व्यापक विचार विमर्श किया

गया तथा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रमों का चयन प्रगतिशील प्रणाली (Progressive Mode) में किया जायेगा। पाठ्यक्रमों का चयन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकेगा–

1. विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से संचालित प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से।
2. कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से।
3. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से।

भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन प्लेटफार्मो (जैसे–SWAYAM/AICTE/IIT/MOOCS/NPTELetc.) द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के माध्यम से। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चारो माध्यमों से विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रमों को विभिन्न बास्केट में सम्मिलित करते हुए व्यापक छात्रहित में इसका समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना भी आवश्यक होगा।

4. बैठक में उपस्थित कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु आरम्भिक योजना के अर्न्तगत कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा वित्त, सूचना प्रोद्योगिकी कृषि इत्यादि विषयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त पाठ्यक्रमों की कक्षाओं एवं परीक्षाओं का संचालन सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा अपने संसाधनों का
   प्रयोग करते हेतु किया जायेगा जिसका क्रेडिट निर्धारित उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 46521/XXIV-C-4/2022-01(06)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा के उपरान्त कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके उपरान्त विद्यार्थी का परीक्षाफल घोषित करते हुए विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंको/क्रेडिट प्वाईन्ट इत्यादि को सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय को यथासमय उपलब्ध किया जाना अनिवार्य होगा।

3. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा इन पाठ्यक्रमों हेतु अनुमानित शुल्क 500.00 (पाँच सौ मात्र) प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, जिसमें विद्यार्थियों को पाठ्य सामाग्री भी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रदान की जायेगी। यदि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री साफ्ट कॉपी के **रूप में प्राप्त की जाती है तो उन्हें उपरोक्त शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जायेगी।**

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पत्रांक 476/XXIV–C–4/2023–01(06)/2019 उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 13 जून, 2023 एवं SDSUV/VC-S/32 दिनांक 27.05.2023 के अनुपालन में इस महाविद्यालय में संचालित प्रस्तावित कौशल विकास पाठ्यक्रमों (VOCATIONAL COURSE) की सूचीः–

Sl.No.	Programme	Semester I	Semester II	Semester III	Semester IV
1	Mushroom Cultivation	Introduction Morphology and Characteristics of Mushrooms Seed/Spawn	Commercial Cultivation Technology of Button, Milky, Oyster and	Business Establishment and Marketing Strategies	Project/Field Training/Internship

		Production Technology	Medicinal Mushroom		
2	Bee Keeping	Introduction to Apiculture and its importance Management of Pests and Diseases	Economics of Bee Keeping and business Planning	Hive Products Entrepreneurship	Importance of Beekeeping for Biodiversity Conservation and Rural Development Project/Field Training/Internship
3	Agri-Business Management and Digital Marketing	Introduction to Agri Business Management and Digital Marketing Agricultural Supply Chain Management	Agricultural Finance and Accounting	Agricultural Marketing	E-Commerce and Social Media Marketing for Agri Business Project/Field Training/Internship
4	Bio fertilizers	Bio fertilizers-I	Bio fertilizers-II	Bio fertilizers-III	Bio fertilizers-IV
5	Cosmetic and Perfume	Introduction and History	Classification and Adulteration of Natural Products	Care of Skin, Hair and Nails and Eye	Preparation of Perfumes and Training
6	Basic Analytical Chemistry	Basic Analytical Chemistry-I	Basic Analytical Chemistry-II	Basic Analytical Chemistry-III	Basic Analytical Chemistry-IV
7	Mobile app development	Level I	Level II	Level III	Level IV
8	Environmental Geology	Elementary Environmental Geology	Natural Resources	Erath Processes and Disaster	Environmental Problems and Mitigation
9	Quantitative Aptitude and logical Reasoning	Quantitative Aptitude and logical Resoning I	Quantitative Aptitude and logical Resoning II	Quantitative Aptitude and logical Resoning III	Quantitative Aptitude and logical Resoning IV
10	Vedic Maths	Vedic Arthmetic-I	Vedic Algebra-II	Vedic Algebra- I	Vedic Algebra -II and Project
11	Scientific Writing and Computing	Methods of Scientific Writing:	Visualizing Data with MATLAB: Techniques and Strategies	Programming in Python –I	Programming in Python –II
12	Basic Instrumentation	Basic Instrumentation Skill-I	Basic Instrumentation Skill-II	Basic Instrumentation Skill-III	Project/Field Training/Internship
13	Human Health and General Hygiene	Basic of Nutrition and	Health	General Hygiene and Human Diseases	Human Health Legislation
14	E-Office Management	ICT Resources & Technology Enabled Learning	Introduction to E-Office	Tools for E-Office Management	Report Preparation, Formatting and Data Management
15	Digital Marketing & Management	Fundamental of Digital Marketing	Content Marketing	Social Media Marketing	Digital Advertising
16	Communications Skills & Personality Development	ICT Resources & Technology Enabled Learning	Technical Communication Skills	Personality Development	ICT Skills for Leadership
17	भारतीय ज्योतिष विज्ञान	सामान्य विज्ञान	ज्योतिष चंद्रिका	पंचाग, मूर्हत एवं राशियां	इष्टकाल, जन्म कुण्डली निर्माण एवं फलादेश
18	Early Childhood Care and Education	Fundamentals of Early Childhood Care and Education Development	Programme and Planning and Activities	Support Services: Need, Strategies and Approaches	Planning Appropriate ECCE Curriculum
19	Disaster Management	Introduction of Disaster & Hazards	Types of Disaster Management	Stages of Disaster Management	Disaster Management
20	Archaeology in India	Introduction of Archaeology	Art and Architecture of India (From 6th Century B.C.S. to	Ancient Indian Numismatics	Cultural Heritage Management

			12 Century C.E.)		
21	Hindustani Music Vocal	Practical Aspects of Indian Music-I	Practical Aspects of Indian Music-II	Practical Aspects of Indian Music-III	Practical Aspects of Indian Music-IV
22	Elements of Public Administration	Elements of Public Administration-I	Elements of Public Administration-II	Elements of Public Administration-III	Elements of Public Administration-IV
23	Women Empowerment	Basic Concepts in Women's Studies	Women and Development	Women, Culture and Media	Introduction to Field Work and Extension
24	Yoga and Naturopathy	Fundamentals of Yoga	Patanjali Yoga Sutra	Yoga Therapy	Yoga & Allied Science (General Introduction of Ayurved & Panchkarama)
25	Food & Nutrition Skills	Food and Bakery Science	Value added Product and Vegetables	Food standard and quality control/food NGOs & Food Service Management	Hand on Training on bakery/food preservation and processing centres
26	Therapeutic Nutrition Skills	Basics of Health Promotion and Educational Intervention	Clinical Nutrition	Diet therapy/Nutritional Counseling	Experiential learning in diet and nutritional counselling
27	Textile Skills	Fabric Formation and Finishes	Textile Designing/ Textile testing	Handicrafts of Pan India	Hands on trainings in designing and production in textile
28	Child Development Skills	Family Support Services	Early Childhood Care and Education (ECCE)	Guidance and Counseling/Intervention of Children with developmental challenges	Hands on training in management of early child centre/preschool Centres/anganwadies/Special Schools
29	Resources Management Skills	Fundamental of Art & Design	Residential and Commercial Space design	Event Management / Interior Designing	Hands on training in event and décor Management/ Hands on training on interior designing
30	Extension related Skills	Life skills education/Soft skills	Communication and extension for sustainable development	Survey report writing/project proposal writing	Rural awareness and work experience (RAWE)

31. Foreign Languages i.e.– German/French/Japanese etc.

Other skill and vocational Courses for the faculty : (IGNOU/NPTEL/SWAYAM/MOOCS)

- Maternal Infant Young Child Nutrition
- One Health
- Basics of health promotion and education intervention
- Adolescent health and wellbeing: A holistic approach
- Nutrition, therapeutics and health
- Women Empowerment and Health
- Public Health and Nutrition
- School Counseling
- Role of Craft and Technology in Interior Architecture
- Textile Testing
- Weaving Technology

- Foods and Nutrition for Healthy Livings

उक्त कौशल विकास पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अगर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय नये कौशल विकास पाठ्यक्रम को अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए संचालित करना चाहता है, जिसका क्रेडिट निर्धारण उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 46521/XXIV-C-4/2022-1(06)/2019 दिनांक 01 जुलाई, 2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना एवं उन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की बी0ओ0एस0 से संस्तुत करवाना अनिवार्य होगा।

सह–पाठ्यक्रम

1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक सह–पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी को ग्रेड सीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. ये छह पाठ्यक्रम सेमेस्टर अनुसार निम्नवत् होंगे–

प्रथम सेमेस्टर	:	सम्पर्क व्यवहार कौशल
द्वितीय सेमेस्टर	:	पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा
तृतीय सेमेस्टर	:	श्रीमद्भागवत गीता में प्रबन्धन प्रतिमान
चतुर्थ सेमेस्टर	:	वैदिक विज्ञान/वैदिक गणित
पंचम सेमेस्टर	:	ध्यान/रामचरितमानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास
षष्टम सेमेस्टर	:	भारतीय पारम्परिक ज्ञान का सार/विवेकानन्द अध्ययन

शोध परियोजना

1. स्नातक/स्नातकोत्तर (पी.जी.डी.आर.) स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।

2. विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

3. शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थानध्शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

4. विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध Report/Dissertation जमा करेगा, जिसका मुल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

5. स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी. आर.के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रडिट निर्धारण

1. थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टश्र के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

2. प्रैक्टिकल/इर्नटनशिप/फील्ड वर्क के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/ इर्नटनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

3. क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

4. विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वितीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

एक बार का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का पउयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46–46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

5. यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7. तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

8. यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B-L-E-) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

9. यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली–

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रैड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

उत्तीर्णता प्रतिशत

1. Qualifying पेपर में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2. उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरि एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit Course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

3. छः सह पाठ्यक्रम कोर्स Co-curricular Course तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) qualifying है तथा इनके उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे।

4. सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरि एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

5. मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरि एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

6. सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स पेपर (थ्योरि एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में 75 अंकों में 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

7. किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरकि मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

8. किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।

कक्षान्नोति (Promotion)

1. विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

2. सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (थ्योरि प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

3. 50 प्रतिशत क्रेडिट की गण्ना करने में दशमलव के बाद अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement)

1. आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

2.विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होंगी।

3. विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4. विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी दे सकता है किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर के लिए ही उपलब्ध होगी।

काल अवधि

1. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

SGPA एवं CGPA की गणना

1. SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जाएगी :

Semester के लिए	यहाँ पर
SGPA (Sj)$\sum$=(Ci×Gi)/$\sum$Ci	Ci= number of credits of the ith course in jth semester Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA =$\sum$(Cj×Sj)/ $\sum$Cj	यहाँ पर Sj=SGPA of the semester Cj=total number of credits in jth semester

2. CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है।परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होगे। परीक्षा देने के लिए नियमानुसार 75% उपस्थित अनिवार्य होगी। यदि किसी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है परन्तु किसी कारण वश में परीक्षा में सम्मिलित नही हो पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थित होन आवश्यक नहीं है।

प्रवेश नियमावली एवं समय सारणी

विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश नियमावलकी तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समया पर जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेगा। समय सारणी निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके।

शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा क्षेत्र मे न्यूनतम 90 कार्य दिवसों अर्थात 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।

सत्र 2023–24 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आंवटित सीटों का विवरण–

क्र0सं0	संकाय	पाठ्यक्रम	अवधि	अध्ययन विषय	उपलब्ध स्थान	EWS 10%	योग
1	कला संकाय	बी0ए0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	हिन्दी	120	12	132
				अंग्रेजी	80	8	88
				संस्कृत	80	8	88
				अर्थशास्त्र	80	8	88
				इतिहास	80	8	88
				भूगोल	80	8	88
				समाजशास्त्र	120	12	132
				राजनीति विज्ञान	120	12	132
				गृहविज्ञान	80	8	88
				मानव विज्ञान	80	8	88
				सैन्य विज्ञान	80	8	88
2	विज्ञान संकाय	बी0एस–सी0	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	जन्तु विज्ञान	160	16	176
				वनस्पति विज्ञान	160	16	176
				भौतिक विज्ञान	80	8	88

				रसायन विज्ञान	240	24	264
				गणित	80	8	88
				भू–विज्ञान	60	6	66
				सांख्यिकी	60	6	66
				सैन्य विज्ञान	60	8	88
				मानव विज्ञान	60	8	88
3	वाणिज्य संकाय	बी0कॉम	3 वर्ष (6 सेमेस्टर)	वाणिज्य	80	8	88

प्रवेश नियमावली एवं समय सारणी

विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेगा। समय सारणी निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम

विकल्प उपलब्ध हो सके। कौशल विकास से सम्बन्धित कक्षाऐं प्रत्येक कार्य दिवस में महाविद्यालय समय–सारणी के अनुसार अपराह्न 03.15 बजे से संचालित होंगी।

उपस्थिति निर्धारण

विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। जिसके लिए छात्र/छात्राऐं स्वयं जिम्मेदार होगें।

यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है। ऐसे छात्र/छात्राओं को पुनः कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत परिसर एवं महाविद्यालयों द्वारा न्यूनतम 90 कार्य दिवसों अर्थात् 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।

स्नातकोत्तर (एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0कॉम0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्हता निधारण के नियम (शैक्षणिक सत्र 2023–24)

अध्याय–2 योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

2.2 यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य एवं विज्ञान की प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान अथवा वाणिज्य से कला संकाय में प्रवेश लेना चाहता हैं एवं साथ ही स्नातकोत्तर (कला संकाय) का कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया है अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना विषय परिवर्तन कर कला संकाय के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा महाविद्यालय में विधिवत् प्रवेश लेने हेतु आवेदन करना होगा।

2.3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पत्री/पति/पत्नी /सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि

स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.4 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तृति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.5 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठ्न–पाठ्न प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.6 स्नातकोत्तर कक्षाओं में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.7 प्रदेश से वाहर के अभ्यर्थीयों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में 10 प्रतिशत अधिक अंक होने पर (जैसा निर्धारित अर्हता उपाधि बी0ए0 या बी0कॉम0 में 10 प्रतिशत अधिक अंक यानि न्यूनतम 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत या बी0एस–सी0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अंक होने पर) ही प्रवेश अर्ह किया जायेगा। एतद्द्वारा निर्धारित अर्हता से कम अंक होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2.8 विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्न लिखित नियमों का पालन किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक (विज्ञान संकाय) की परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु केवल स्नातक स्तर में पढें हुए विषयों में ही अर्ह माने जायेगें।

(क) स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण हेतु नियम (जहॉ लागू हों)–

(ख) अधिमान के रूप में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु कुल योग्यतांक $I=(X+2Y)$ के 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 150 अंक अतिरिक्त प्रदान किये जायेगें।

2.9 कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा– कोई भी स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी (स्नातक की उपाधि यू0जी0सी0द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्नातक (कला/वाणिज्य/विज्ञान) की उपाधि कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए) जिसने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा। कला संकाय के स्नातकोत्तर स्तर में प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों (भूगोल, चित्रकला, गृह विज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, पुरातत्व शास्त्र, मानव विज्ञान व सैन्य विज्ञान) में केवल वे ही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे जिनका स्नातक स्तर पर उक्त विषय रहा हो।

2.10 वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा–

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने स्नातक (वाणिज्य संकाय) की परीक्षा न्यूनतमू 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (वाणिज्य संकाय) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेगें।

वैधानिक नियन्त्रण–विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

परास्नातक पाठ्यक्रम (Post Graduate Programme) में वि0वि0 द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या–

क्र0सं0	कला संकाय (Art Faculty)		विज्ञान संकाय (Science Faculty)		वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty)
1	मानव विज्ञान **Anthropology**	(20सीट)	वनस्पति विज्ञान **Botany**	(20सीट)	एम0कॉम0 (30सीट)
2	अर्थशास्त्र **Economics**	(30सीट)	रसायन विज्ञान **Chemistry**	(20सीट)	————
3	अंग्रेजी **English**	(30सीट)	भूगर्भ विज्ञान **Geology**	(20सीट)	————
4	भूगोल **Geography**	(20सीट)	गणित **Mathematics**	(30सीट)	————
5	हिन्दी **Hindi**	(30सीट)	भौतिक विज्ञान **Physics**	(20सीट)	————
6	इतिहास **History**	(30सीट)	जन्तु विज्ञान **Zoology**	(20सीट)	————
7	गृहविज्ञान **Home Science**	(20सीट)	सांख्यिकी **Statistics**	(20सीट)	————
8	राजनीति विज्ञान **Political Science**	(30सीट)	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन **Defence and Strategic Studies**	(20सीट)	————
9	संस्कृत **Sanskrit**	(30सीट)	————	————	————
10	समाजशास्त्र **Sociology**	(30सीट)	————	————	————
11	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन **Defence and Strategic Studies**	(20सीट)	————	————	————

शुल्क विवरण
(01–समर्थ)

निदेशक (उ0शि0) हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक संख्या डिग्री सेवा/नि0का0/4751–4850/2017–18 (P.S.) दिनांक 24 जून, 2017 के अनुपालन में गढवाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित इस महाविद्यालय में अध्ययनरत बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0 स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। जो कि प्रवेश के समय पर एक किस्त मे लिया जायगा। **स्नातकोत्तर स्तर पर अनु0 जाति/अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओ से शिक्षण शुल्क रू0 180.00 नहीं लिया जायेगा।**

क0सं0	शुल्क का प्रकार	स्नातक प्रथम सेमेस्टर	स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रायोगिक	स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर	स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर प्रायोगिक
01	शिक्षण शुल्क	———शून्य———	———शून्य——	180.00	180.00
02	महंगाई शुल्क	240.00	240.00	240.00	240.00
03	प्रयोगशाला शुल्क	———शून्य———	240.00	——शून्य——	240.00
04	विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00
05	प्रवेश/पुनः प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00
06	पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	10.00	10.00
कोषागार में जमा होने वाली शुल्क धनराशि–		**रू0 266.00**	**रू0 506.00**	**रू0 453.00**	**रू0 693.00**
07	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00	300.00	300.00
08	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00

09	विभागीय परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
10	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
11	महाविद्यालय दिवस	30.00	30.00	30.00	30.00
12	निर्धन छात्र सहायता कोष	10.00	10.00	10.00	10.00
13	परिचय पत्र/पुस्तकालय	25.00	25.00	25.00	25.00
14	छात्रसंघ	50.00	50.00	50.00	50.00
15	**वि0वि0 नामांकन/परीक्षा/उपाधि/लधुशोध शुल्क**	**वि0वि0 नियमानुसार**	**वि0वि0 नियमानुसार**	**वि0वि0 नियमानुसार**	**वि0वि0 नियमानुसार**
16	विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00	60.00
17	विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
18	प्रांगण विकास एवं सौन्दर्यीकरण	20.00	20.00	20.00	20.00
19	कैरियर कांउसिलिंग शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00
20	कम्प्यूटर इण्टरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00	70.00
21	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	———शून्य———	60.00	——शून्य—	60.00
22	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
23	सांस्कृतिक परिषद	50.00	50.00	50.00	50.00
24	अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
25	रोवर–रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00	60.00
	योग–	**रू0 1105.00**	**रू0 1165.00**	**रू0 1105.00**	**रू0 1165.00**
	महायोग–	**रू0 1371.00**	**रू0 1671.00**	**रू0 1558.00**	**रू0 1858.00**

शुल्क विवरण
(02–गैर समर्थ)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। (शुल्क विवरण, सत्र 2023–24)

निदेशक (उ0शि0) हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक संख्या डिग्री सेवा/नि0का0/4751–4850/2017–18 दिनांक 24 जून, 2018 के अनुपालन में गढवाल मण्डल के अन्तर्गत स्थित इस महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। जो कि प्रवेश के समय पर एक किस्त में लिया जायेगा एवं **स्नातकोत्तर स्तर पर अनु0 जाति/अनु0जनजाति के छात्र/छात्राओ से शिक्षण शुल्क रू0 180.00 नहीं लिया जायेगा।**

क0 सं0	**छात्रनिधि का नाम**	**स्नातक बी.ए./बी.कॉम. III सेमे0 एवं III वर्ष**	**स्नातक प्रायोगिक बी.ए./बी.एस–सी. III सेमे0 एवं III वर्ष**	**स्नातकोत्तर एम.ए./एम.कॉम./एम.एस–सी (गणित) III सेमे0**	**स्नातकोत्तर प्रायोगिक एम.ए./एम.एस–सी. III सेमे0**
1	शिक्षण शुल्क	——शून्य——	——शून्य——	180.00	180.00
2	महंगाई शुल्क	240.00	240.00	240.00	240.00
3	प्रयोगशाला शुल्क	——शून्य——	240.00	——शून्य——	240.00
4	विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00
5	प्रवेश/पुनः प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00
6	पुस्तकालय शुल्क	3.00	3.00	10.00	10.00
	कोषागार में जमा धनराशि–	**266.00**	**506.00**	**453.00**	**693.00**
7	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00	300.00	300.00
8	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
9	विभागीय परिषद शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
10	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
11	महाविद्यालय दिवस	30.00	30.00	30.00	30.00
12	निर्धन छात्र सहायताकोष	10.00	10.00	10.00	10.00
13	परिचय पत्र/पुस्तकालय	25.00	25.00	25.00	25.00

14	छात्र संघ	50.00	50.00	50.00	50.00
16	वि0वि0 परीक्षा/नामांकन/उपाधि/लधु शोध	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
17	विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00	60.00
18	विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
19	प्रांगण विकास एवं सौन्दर्यीकरण	20.00	20.00	20.00	20.00
20	कांउसिलिंग शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00
21	कम्प्यूटर इण्टरनेट अनुरक्षण	70.00	70.00	70.00	70.00
22	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	––शून्य––	60.00	––शून्य––	60.00
24	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
25	सांस्कृतिक परिषद	50.00	50.00	50.00	50.00
27	अभिभावक शिक्षक संघ शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00
28	रोवर–रेंजर्स शुल्क	60.00	60.00	60.00	60.00
29	प्रवेश आवेदन–पत्र/पंजीकरण शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
30	रेडकास सोसायटी	––शून्य––	––शून्य––	––शून्य––	––शून्य––
	योग–	**1155.00**	**1215.00**	**1155.00**	**1215.00**
	महायोग–	**1421.00**	**1721.00**	**1608.00**	**1908.00**

नोट–यदि कोई छात्र/छात्रा इस महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कौशल विकास पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड, मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी से करना चाहता है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा को प्रति सेमेस्टर रू0 500.00 (रू0 पांच सौ मात्र) अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।

शुल्क सम्बन्धी प्रावधान–शुल्क विवरण तथा जमा करने की तिथियाँ समय–समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट/वेबसाइट (www.gpgcnewtehri.com) पर संसुचित की जायेंगी। शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश मान्य होंगे। यदि छात्र/छात्रा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर शुल्क जमा नहीं करता है तो उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

आचार संहिता

खण्ड–1

छात्र/छात्राओं द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुशः

विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. महाविद्यालय में किसी शिक्षक, कर्मचारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में महाविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यो, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्य कलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यो में किसी भी प्रकार से बाधा पहुॅचाना।
3. विशेष निर्णय जिन पर महाविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता (शास्ता मण्डल) अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय के परिसर में लाउड स्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।

4. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी भी कार्यक्रम में निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
5. महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलीयों, पम्पलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।
6. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थो का रखना एवं वितरण करना।
7. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
8. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
9. किसी भी प्रकार के शस्त्र रखने, प्रदर्शन करने अथवा उससे डराना–धमकाना।
10. कोई ऐसा कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
11. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की अवहेलना।
13. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार युक्त अथवा यौन उत्पीड़न का भान कराने वाला कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
14. मिथ्या कथन अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
15. किसी भी रूप में रिश्वत् देने का कोई प्रयास अथवा कोई अन्य भ्रष्ट आचरण।
16. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हों।
17. कोई ऐसा कृत्य जो निषिद्ध भवनों अथवा क्षेत्रों में अनाधिकृत उपस्थिति अथवा प्रवेश या उल्लंघन सदृश्य हो तथा महाविद्यालय इकाई के भवनों पर कब्जा।
18. ऐसा कोई कृत्य जो महाविद्यालय के कार्य कलापों में किसी वाह्य व्यक्ति अथवा संस्था या प्राधिकारी के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसका आशय रखता हों।
19. अनाधिकृत कोष संग्रह।
20. शराब अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
21. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हों।
22. खण्ड–2 में पारिभाषित रैगिंग करने सम्बन्धी अथवा उस में लिप्त होने सम्बन्धी कोई कृत्य।
23. छात्र एवं छात्राओं को परिसर में मोबाईल फोन अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामाग्री देखना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

खण्ड–2
रैगिंग से सम्बन्धितः

महाविद्यालय ने रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या–310/04/एस0आई0ए0, दिनांक 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित प्रावधान किये है,

1. रैगिंग से अभिप्राय हैः

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or

perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

2. रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधिः

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड़यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैर कानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से अथवा प्रतिबन्धित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना।
- साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वसूली।
- अपराधिक अतिक्रमण।
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
- अपराधिक रूप से धमकाना।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

3. रैगिंग से सम्बन्धित दण्डः

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है,

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- संस्था से एक से चार सेमेस्टर (दो वर्ष की) अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तद्पोरानत अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार का जुर्माना।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाय तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

खण्ड–3

पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरणः

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को शास्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र को जारी पहचान पत्र को ही उसके महाविद्यालय का छात्र होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। शास्ता मण्डल के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र के

असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं **उसके विरूद्ध (महाविद्यालय के नियमों के अधीन) कार्यवाही की जायेगी।** पहचान पत्र खो जाने की सूचना शास्ता कार्यालय को देना होगा तथा शास्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुये तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान पत्र शास्ता कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

2. मांग करने पर छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र प्राचार्य द्वारा जारी किया जाता है। लिखित आवेदन करके निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्रों को जितनी बार आवश्यकता हो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधानः–

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है।

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भलीभांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ–
   - मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - मैं किसी भी रूप में रैंगिक में लिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   - मै किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर..... दिन.....माह.....वर्ष.....

....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं .....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हुँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टीरैगिंग शपथ पत्र हेतु www.amanmovement.org लॉगिन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग–अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।

सुविधाएँ

1.पुस्तकीय सुविधाएँ :–

(क) पुस्तकालय :–

महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को स्वयं अपना पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना कोई पुस्तक निर्गत नहीं की जाएगी। पत्रक सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी। पुस्तकें फटने, गन्दी हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में सम्बन्धित विद्यार्थी को पुस्तक का मूल्य जमा करना होगा। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होगी।

2. आर्थिक सुविधाएँ :–

(क) छात्रवृत्ति सुविधाएँ :–

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को जो प्रमुख छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान प्राप्त हो सकते हैं, उनका विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निम्नांकित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर और निर्धारित विवरणानुसार महाविद्यालय में समय–समय पर प्रचलित सूचनाओं के आधार पर छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदानों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग/ई.बी.सी (आर्थिक रूप से कमजोर) नवीन एवं नवीनीकृत छात्र/छात्राओं हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, मानपुर पूरब, रामपुर रोड़, हल्द्वानी के पत्र सं0 2140/स.क.

/छात्रवृत्ति/विज्ञा0/2020–21 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर आधारित छात्रवृत्तियाँ।

2. छात्रवृति से सम्बन्धित आवेदन–पत्र महाविद्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किये जाते हैं।
3. छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत प्रति माह होना आवश्यक है।
4. नियमानुसार छात्र/छात्राओं को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है।

(ख) **निर्धन छात्र सहायता कोष** :–निर्धन छात्रों को इस कोष से सहायता दी जाती है।

3. उपचारात्मक सुविधाएँ :–

(क) कोचिंग कक्षाऐं :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं के लिये महाविद्यालय में यू.जी.सी. के सहयोग से प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस सुविधा का लाभ अवश्य उठायें।

(ख) उपचारात्मक कक्षाऐं :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु उपचारात्मक शिक्षण (रिमेडियल कोचिंग) सत्र–2011–12 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से शुरु किया है, महाविद्यालय के शिक्षकों को इसके निष्पादन का कार्य सौंपा जाता है।

(ग) कैरियर काउन्सिलिंग :–

छात्रों को रोजगारपरक मार्ग दर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में कैरियर कॉउन्सिलिंग सेल की स्थापना की गयी है। इस सेवा के अन्तर्गत छात्रों को विषय चयन हेतु मार्ग दर्शन एवं चयनित

विषयों की रोजगार सम्भावनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। छात्रों से अपेक्षा है कि वह

इस सेवा का समुचित लाभ प्राप्त करें।

4. पाठ्येतर व्यक्तित्व–निर्माण सम्बन्धी गतिविधियाँ :–

(क) छात्रसंघ :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P (Civil) No. 242952004/ दिनांक 24.06.2004 जो अपर महा अधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या–4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/xxiv(6)2007–3(168)/2001 दिनांक 27.02.2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 24.04.2007 द्वारा नियमों के आधार छात्रसंघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्रसंघ चुनाव कराना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 17 से 25 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। कोई भी छात्र/छात्रा प्रत्याशी पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु दोबारा चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होगा।

आचार संहिता तय सीमा एवं समस्त व्यवस्थायें लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होंगी। छात्र–संघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकेगा। उपरोक्त के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाता है।

(ख) खेलकूद/क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ :–

महाविद्यालय में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें समस्त छात्र/छात्राओं के लिए खेलों में भाग लेने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय क्रीड़ा कैलेण्डर के माध्यम से विभिन्न खेलों का कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी कार्यक्रम घोषित

करता है। विश्वविद्यालय में होने वाले लगभग सभी खेल महाविद्यालय भी संचालित करता है। विभिन्न टीमों में खिलाड़ियों का चयन एक चयन प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :–

इसके अन्तर्गत समाज के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे श्रमदान, पर्यावरण सम्वर्धन सम्बन्धी कार्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी कार्य, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में एन.एस.एस. में प्रवेश स्थान 300 हैं।

(घ) नेशनल कैडेट कोर (NCC) :–

यूनिट खुलवाने/संचालन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(ड़) रोवर–रेंजर्स (Rover Rangers) :–

छात्र/छात्राओं के लिए एक स्वंय सेवी, गैर राजनैतिक, शैक्षिक संस्था है, जो वंश, जाति, धर्म के भेदभाव से परे सबके लिए खुला है। यह युवाओं के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक भावनात्मक और अध्यात्मिक विकास में सहायता कर उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

(च) सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ :–

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष अन्तर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें समूह गीत, एकलगीत, लोकगीत, लोकनृत्य, एकलनृत्य, कब्बाली, एकांकी, रंगोली, मेंहदी आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

(छ) विभागीय परिषद् :–

प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त छात्र/छात्राएँ परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्वाधान में निबन्ध व वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचारगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी कार्य–कलाप संचालित किये जाते हैं।

(ज) महाविद्यालय पत्रिका :–

छात्र–छात्राओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु महाविद्यालय की पत्रिका **''अभिव्यक्ति''** का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है।

महाविद्यालय परिवार

प्रो0 पुष्पा नेगी, प्राचार्य, **दूरभाष :–01376–234964**

क्र0 सं0	कला संकाय	क्र0 सं0	विज्ञान संकाय
1	हिन्दी : 1. डॉ0 मीरा कुमारी (असि0प्रो0/विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9456529539) 2. डॉ0 अंकिता वोरा (असि0 प्रो0)	2	भौतिक विज्ञान : 1. डॉ0 गुरुपद सिंह गुसांई (असि0प्रो0/विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–8171585109) 2. श्री अजय बहुगुणा (असि0प्रो0) 3. प्रो0 राज कुमार त्यागी (सम्बद्ध)
3	अंग्रेजी : 1. डॉ0 निशान्त भट्ट (असि0प्रो0/विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9410955400) 2. डॉ0 प्रीतम सिंह (असि0प्रो0) 3. डॉ0 अशोक जोशी, (नितान्त अस्थाई)	4	रसायन विज्ञान : 1. डॉ0 अरविन्द मोहन पैन्यूली (असि0प्रो0/विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9412008180) 2. श्री नवीन सिंह रावत (असि0प्रो0) 3. श्रीमती साक्षी शुक्ला (असि0प्रो0)
5	संस्कृत : 1. डॉ0 प्रदीप कुमार पेटवाल (नितान्त अस्थाई) (सम्पर्क–9719921911)	6	गणित: 1. डॉ0 सन्दीप कुमार (असि0 प्रो0/विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9412141411) 2. श्री सुभाष चन्द्र नौटियाल (असि0प्रो0)

			3. श्रीमती माधुरी कोहली (असि0प्रो0) 4. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय (असि0प्रो0)
7	इतिहास : 1. डॉ0 सुशील कुमार कगड़ियाल (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9410519191) 2. श्री अरविन्द सिंह रावत (असि0 प्रो0)	8	जन्तु विज्ञान : **1.** डॉ0 पद्मा वशिष्ट (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9557957303) **2.** डॉ0 वी0पी0 सेमवाल (असि0 प्रो0) **3.** डाॅ पूनम तिवारी (नितान्त अस्थाई)
9	राजनीति विज्ञान : 1. श्री दिनेश कुमार (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9410190343) 2. डॉ0 मीनाक्षी शर्मा (असि0प्रो0)	10	वनस्पति विज्ञान : 1. डॉ0 आशा डोभाल (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–8218244510) 2. डॉ0 आरती खण्डूरी (असि0 प्रो0) 3. डॉ0 हेमलता बिष्ट (संविदा प्रवक्ता)
11	समाजशास्त्र :– 1. डॉ0 तनु मित्तल (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9675343833) 2. डॉ0 मणिकान्त शाह (असि0प्रो0) 3. श्री सोबन सिंह (असि0प्रो0)	12	भू विज्ञान : 1. डॉ0 भक्त दर्शन सिंह नेगी (संविदा प्रवक्ता / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9411154874) 2. डॉ0 कामिनी पुरोहित (नितान्त अस्थाई)
13	अर्थशास्त्र :– 1. डॉ0 हर्ष सिंह नेगी (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9410967263) 2. डॉ0 पूजा भण्डारी, (असि0प्रो0) 3. श्री वैभव सिंह रावत, (असि0प्रो0)	14	सैन्य विज्ञानः– 1. प्रो0 दीर्घपाल सिंह भण्डारी (प्रोफेसर / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9412921719) 2. डॉ0 दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (असि0प्रो0) 3. डॉ0 कमलेश चन्द्र पाण्डे (नितान्त अस्थाई)
15	भूगोल :– 1. डॉ0 विजय राज उनियाल (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–8006411746) 2. डॉ0 जयेन्द्र सिंह सजवाण (असि0प्रो0)	16	सांख्यिकी :– 1. डॉ0 पुष्पा पंवार (गेस्ट फैकल्टी) (सम्पर्क–9412912452)
17	गृहविज्ञान :– 1. डॉ0 प्रीति शर्मा (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9997302578) 2. श्रीमती पुष्पा कुमारी (असि0प्रो0)	18	मानवविज्ञान :– 1. डॉ0 रजनी गुसांई (असि0प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9412915637) 2. डॉ0 पी0सी0 पैन्यूली (असि0प्रो0)
19	वाणिज्य संकाय :–		
1. डॉ0 विजय सिंह नेगी (एसो0 प्रो0 / विभाग प्रभारी) (सम्पर्क–9412143729 2. डॉ0 मैत्रेयी थपलियाल (असि0 प्रो0)		3. डॉ0 सत्येन्द्र कुमार (असि0 प्रो0) 4. डॉ0 ममता रावत (असि0 प्रो0) 5. डॉ0 भारती जायसवाल (असि0 प्रो0)	

कार्यालय :–

समूह "ख"	1. श्री दिलवर सिंह नेगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकरी
समूह"ग"	1. श्री लक्ष्मण सिंह, प्रधान सहायक
	2. श्री अमित कुमार, वरिष्ठ व्यैक्तिक सहायक
	3. श्रीमती रेखा कुकरेती, वरिष्ठ सहायक
	4. श्री आशु कुमार, कनिष्ठ सहायक, (उपनल)
सहा0 लेखाकार :–	1. श्री शंकर कुमार, (उपनल)
इलेक्ट्रीशियन/मैकेनिक :–	1. श्री अजयपाल सिंह रावत, (उपनल)
कार्यालय अनुसेवक :– समूह "घ"	1. श्री शैलेन्द भट्ट 2. श्री भगत सिंह
	3. श्री कुलदीप सिंह 4. श्री आशीष कण्डारी, (उपनल)
पुस्तकालय :–	1. श्री सतेन्द्र डोभाल, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
	2. श्रीमती नीलम नेगी, कैटलॉगर, (उपनल)
	3. श्रीमती बीना देवी, पुस्तकालय सहायक, (उपनल)
	4. श्री अनिल सिंह, पुस्तकालय सहायक, (उपनल)
	5. श्रीमती लक्ष्मी देवी, पुस्तकालय अनुसेविका
प्रयोगशाला भूगोल :–	1. श्री अंकित रावत, अनुसेवक, (उपनल)
प्रयोगशाला रसायन विज्ञान : –	1. श्री पूरन सिंह रावत, प्रयोगशाला सहायक 2. श्री प्रशान्त पंवार, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 3. श्री रविन्द्र सिंह, (उपनल)
प्रयोगशाला गृह विज्ञान :–	1. श्रीमती सुनीता देवी, प्रयोगशाला सहायक 2. श्रीमती मधुबाला, प्रयोगशाला सहायक 3. श्रीमती रजनी, (उपनल) 4. बीना देवी, अनुसेविका, (उपनल)
प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान :–	1. श्री मुकेश चन्द्र पटेल, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 2. श्रीमती आरती, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 3. श्री मान सिंह, अनुसेवक, (उपनल)
प्रयोगशाला जन्तु विज्ञान :–	1. श्री मक्खन लाल, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 2. श्रीमती नगीना आर्य, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 3. श्री अमित चमोली अनुसेवक, (उपनल)
प्रयोगशाला वनस्पति विज्ञान :–	1. श्रीमती सुमनलता, प्रयोगशाला सहायक 2. श्री प्रवीन कोठियाल,, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 3. श्रीमती किरन, अनुसेवक, (उपनल)
प्रयोगशाला भू–विज्ञान :–	1. श्री गौरव परमार, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 2. श्रीमती वर्षा रानी, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल)

	3. श्रीमती सरिता भट्‌ट, अनुसेवक, (उपनल)
प्रयोगशाला सैन्य विज्ञान :–	1. श्री रणजीत सिंह, प्रयोगशाला सहायक 2. श्री नितेश सिंह, प्रयोगशाला सहायक, (उपनल) 3. श्री सुजान सिंह अनुसेवक, (उपनल)
प्रयोगशाला मानव विज्ञान :–	1. श्री जयवीर सिंह, प्रयोगशाला सहायक 2. श्री अरूण कुमार अनुसेवक, (उपनल)
कला संकाय :–	1. श्री भीम सिंह अनुसेवक, (उपनल)
वाणिज्य संकायः–	1. श्री अरूण कुमार अनुसेवक, (उपनल)
चौकीदार / स्वच्छक :–	1. श्रीमती सन्तोष 2. श्री आदर्श भारती, (उपनल)

—– XXX —–– XXX —–––XXX—–